प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0
विशाल काम्प्लेक्स, 19–ए, विधान सभा मार्ग
लखनऊ

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या : एस0पी0एम0यू/नियोजन/80/2011–12//1610-72 दिनॉक : 16/07.2011

विषय : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 हेतु संविदा कर्मियों की स्वीकृति।

महोदय,

आप अवगत हैं कि विभिन्न स्तर के नियमित सेवाओं के स्वास्थ्य कर्मी, स्टाफ नर्स, चिकित्सक, परा–चिकित्सकों की कमी के दृष्टिगत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिला पुरुष/महिला चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों पर संविदा पर मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

संविदा कर्मियों की तैनाती हेतु सामान्य नियम –

1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा कर्मियों की तैनाती/अनुबन्ध नवीनीकरण के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए यह निर्देश जारी किये जा रहें हैं।
2. सभी चयन/तैनाती के सम्बन्ध में जो दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं, उन पर सर्वप्रथम जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के अन्तर्गत गठित शासी निकाय में चर्चा की जायेगी और सहमति प्राप्त की जायेगी। यदि शासी निकाय की बैठक में विलम्ब हो रहा हो तो अध्यक्ष–शासी निकाय से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। इस आदेश में जो निर्देश दिये गये हैं, उन प्रतिबन्धों के अधीन ही कार्मिकों की तैनाती/अनुबन्ध नवीनीकरण किया जायेगा।
3. यह संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों में स्वीकृत पदो के सापेक्ष अधिक कार्मिक रख लिये जाते हैं और उनका वेतन भी आहरण किया जाता है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी भी जनपद द्वारा ऐसा किया गया तो सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
4. कतिपय जनपदों से यह भी शिकायत प्राप्त हुई है कि राज्य मुख्यालय से स्वीकृत किये गये पदों के सापेक्ष उसी वित्तीय सीमा में अधिक कार्मिक तैनात कर लिये गये। यह गैर कानूनी है, अतः यदि ऐसी स्थिति पाई गई तो वित्तीय अनियमितता मानते हुए प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. सम्बन्धित संविदा कर्मी का माह अगस्त, 2011 का वेतन दिये जाने से पहले उसके सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप–1 (पत्र के साथ संलग्न) पर सूचना भरकर एस0पी0एम0यू0 कार्यालय में प्रेषित की जाय, नही तो माह अगस्त, 2011 के बाद सम्बन्धित जनपद के संविदा कर्मियों के वेतन आहरण पर रोक लगा दी जायेगी।

6. यह पुनः दोहराया जाता है कि समस्त संविदा कर्मियों का अनुबन्ध जिला स्वास्थ्य सोसाइटी अथवा रोगी कल्याण समिति के साथ ही किया जायेगा।

7. संविदा कर्मियों/चिकित्सकों इत्यादि की तैनाती स्थान विशेष के लिये होगी। जिन चिकित्सा इकाइयों पर नियमित पद भरे हुए हैं, उन इकाइयों पर संविदा पर कोई तैनाती नहीं की जाएगी।

8. किसी भी दशा में स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति स्थान विशेष पर कार्य करने का इच्छुक नहीं है तो उस स्थान पर संविदा समाप्त करने के उपरान्त किसी अन्य स्थान पर सक्षम स्तर से स्वीकृति के पश्चात ही नियमानुसार नवीन तैनाती की जा सकेगी।

9. पैरामेडिकल कर्मियों के पदों का एक "पूल" दिया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार के पैरामेडिकल कार्मिक सम्मिलित हैं। सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 स्तर पर 80–85 प्रतिशत पैरामेडिकल तैनात किये जायें तथा आवश्यकतानुसार मात्र 15–20 प्रतिशत ही जनपदीय महिला/पुरुष एवं संयुक्त चिकित्सालयों में तैनात किये जायें। किसी भी दशा में जनपद हेतु आवंटित संख्या से अधिक पैरामेडिकल कार्मिक न रखे जायें।

10. जिला पुरुष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 पर तैनात किये गये संविदा कर्मियों/चिकित्सकों हेतु प्राविधानित मानदेय की छः माह की धनराशि इन इकाइयों पर क्रियाशील रोगी कल्याण समिति के खाते में स्थानान्तरित की जाएगी। जिन इकाइयों पर पूल एकाउंट खुले हैं वहां पर आवश्यक धनराशि समुचित पूल खाते में स्थानान्तरित की जाएगी।

11. समस्त श्रेणी के कर्मियों के लिए सत्यापन योग्य प्रबन्धन संकेतक (VIM) चिन्हित किये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण आगे के प्रस्तरों में दिया जा रहा है। प्रत्येक कर्मी के मानदेय के भुगतान के लिए आवश्यक है कि वह अपने लिए चिन्हित बेन्चमार्कों की प्राप्ति सुनिश्चित करे, तभी उनके मानदेय का भुगतान किया जायेगा। भारत सरकार से श्रेणीवार मानव संसाधन की स्वीकृति के कम में प्रत्येक जनपद के लिए अलग–अलग श्रेणी के कर्मियों का आवंटन संलग्न जनपदवार फाट में दिया जा रहा है। **वर्ष 2011–12 की फॉट में दी गई संख्या से अधिक संख्या में मानव संसाधन की तैनाती किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगी।** यदि आपके जनपद में किसी श्रेणी विशेष के स्वास्थ्य कर्मी/चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञ की अत्यन्त आवश्यकता होती है, तो आप मिशन निदेशक को पृथक से पत्र लिखकर अपनी इकाई के कार्यभार, इकाई की गत वर्ष की उपलब्धि एवं आवश्यकता का विवरण प्रस्तुत करेंगे तथा प्रस्ताव औचित्यपूर्ण पाये जाने पर अलग से स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

12. संतोषजनक कार्य के आधार पर जो कर्मी/चिकित्सा अधिकारी जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के शासी निकाय से अनुमोदनोपरान्त पुनर्अनुबन्धित कर लिये गये हैं, उनके माह जुलाई, 2011 तक के मानदेय का भुगतान जनपदवार दी गई स्वीकृत संख्या एवं निर्धारित मानदेय के अनुसार

तत्काल कर दिया जाय। **माह अगस्त, 2011 से संविदा कर्मियों/अधिकारियों के मानदेय का भुगतान उनके द्वारा किये गये कार्यों एवं बेन्चमार्कों की समीक्षा के आधार पर ही किया जायेगा।**

13. वर्ष 2011–12 में ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्रों में संविदा पर तैनात कर्मियों का मानदेय अलग–अलग दर पर स्वीकृत किया गया है, जिसके सम्बन्ध में श्रेणीवार विस्तृत विवरण आगामी प्रस्तरों में दिया गया है।
14. नियत मासिक मानदेय पर तैनात किये गये समस्त संविदा कर्मी एवं चिकित्सक, नियमित सेवाओं के कर्मियों एवं चिकित्सकों की भाँति ही नियत रोस्टर के अनुसार कार्य करेंगे तथा प्रभारी अधिकारी की सहमति से इन्हें साप्ताहिक/आकस्मिक/चिकित्सा अवकाश (वर्ष में अधिकतम 14) तथा राजपत्रित अवकाश पूर्व अनुमति के पश्चात देय होंगे। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का अवकाश अनुमन्य नहीं होगा।
15. यदि कोई संविदा कर्मी बिना किसी विशिष्ट कारण अथवा सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
16. संविदा कर्मी/चिकित्सक कालावधि के लिए किन्हीं पेन्शन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे। इन्हें ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस आदि देय नहीं होगा।
17. संविदा कर्मी/चिकित्सक अपने विनियमतीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं कर सकेंगे और न ही इन्हें निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
18. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार संविदा पर कर्मियों की तैनाती में आरक्षण का यथा सम्भव पालन किया जायेगा।
19. संविदा पर कार्यरत चिकित्सक/कर्मी की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस अथवा एक माह का समतुल्य मानदेय देकर समाप्त की जा सकेगी।

<u>संविदा कर्मियों हेतु विस्तृत निर्देश –</u>

1. <u>ए0एन0एम0 –</u>

एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के दृष्टिगत उन सभी उपकेन्द्रों पर एक अतिरिक्त ए0एन0एम0 संविदा पर तैनात की जानी है, जहाँ क्षेत्रान्तर्गत आने वाली जनसंख्या बहुत अधिक है अथवा क्षेत्र बीहड़ अथवा दुर्गम है तथा केवल एक ए0एन0एम0 द्वारा पूरी जनसंख्या को सेवायें उपलब्ध कराया जा पाना संभव नहीं है। आपको संलग्न सूची के अनुसार जनपद में संविदा पर ए0एन0एम0 तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। कतिपय जनपदों में वर्ष 2010–11 में 18 माह के प्रशिक्षणोपरान्त ए0एन0एम0 अपने मूल जनपदों में तैनात

कर दी गई हैं, इन जनपदों में इन्हें प्राथमिकता के आधार पर जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत एक्रीडिटेड उपकेन्द्र जहाँ मासिक प्रसवों की संख्या 10 अथवा उससे अधिक है, पर द्वितीय ए0एन0एम0 के रूप में तैनात किया जाय।

जनपदों में जो ए0एन0एम0 पहले से संविदा पर कार्यरत हैं तथा जिनका अनुबन्ध नवीनीकरण करा लिया गया है, उनके 3 माह के मानदेय का भुगतान स्वीकृत संख्या तथा निर्धारित मानदेय के आधार पर कर दिया जाय। **वर्ष 2011–12 मे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत ए0एन0एम0 के मासिक मानदेय में वृद्धि करके इसे ₹ 10,000.00 प्रतिमाह कर दिया गया है।** तदनुसार माह जुलाई, 2011 से इनके अनुबन्ध पत्र संशोधित कर लिये जांय। नगरीय क्षेत्र में कार्यरत ए0एन0एम0 का मानदेय पूर्ववत ₹ 9,000.00 प्रतिमाह रहेगा। **किसी भी दशा में आवंटित संख्या से अधिक संख्या में ए0एन0एम0 की तैनाती अनुमन्य नहीं होगी।**

ए0एन0एम0 के लिए सत्यापन योग्य प्रबन्धन संकेतक दिये जा रहे हैं, जिनके आधार पर इनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी, तभी माह अगस्त, 2011 से मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

<u>कर्त्तव्य एवं दायित्व</u> –

सभी संविदा ए0एन0एम0 को उनके क्षेत्र का आवंटन कर दिया जायेगा तथा वे अपने क्षेत्र में समस्त मातृ एवं शिशु कल्याण, परिवार कल्याण, राष्ट्रीय कार्यक्रम, आशा एवं एन0आर0एच0एम0 की अन्य गतिविधियों के लिये पूर्णतया उत्तरदायी होंगी। इन्हें अपने क्षेत्र के लिए समस्त निर्धारित रजिस्टरों को व्यवस्थित रखना होगा तथा सभी सूचनायें अद्यतन रखनी होंगी। नियमित ए0एन0एम0 के समान ही इन्हें बैठकों में प्रतिभाग करना होगा तथा निर्देशानुसार सूचनायें उपलब्ध करानी होंगी। एक्रीडिटेड उपकेन्द्रों पर तैनात ए0एन0एम0 बारी–बारी से उपकेन्द्र पर रहकर प्रसव का कार्य तथा दूसरी ए0एन0एम0 क्षेत्र में भ्रमण कर कार्य करेंगी।

2. <u>स्टाफ नर्स</u> –

एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में प्रत्येक जनपदीय महिला चिकित्सालय में आवश्यकतानुसार कार्यभार का आकलन करते हुए 3 स्टाफ नर्स की तैनाती का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार संयुक्त चिकित्सालय में कुल 3 स्टाफ नर्से संविदा पर तैनात की जा सकतीं हैं, परन्तु ये सभी महिला विंग में रखी जायेंगी। इसके अतिरिक्त इस वर्ष प्रत्येक चौबीस घंटे प्रसव इकाई वाली सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 के लिए 1 स्टाफ नर्स की संविदा पर आवश्यकतानुसार तैनाती का प्राविधान रखा गया है। केवल वे एफ0आर0यू0 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ही दूसरी स्टाफ नर्स रख सकते हैं, जहाँ मासिक प्रसवों की संख्या नियमित रूप से 200 से अधिक है तथा जहाँ नियमित रूप से सीज़ेरियन ऑपरेशन होते हैं, परन्तु इसके लिए भी पृथक से मिशन निदेशक

स्तर से अनुमति आवश्यक होगी। **जनपद के लिए स्वीकृत संख्या से अधिक संख्या में स्टाफ नर्स अनुमन्य नहीं होंगी।** एस0एन0सी0यू0 पर जिला महिला चिकित्सालय के लिए स्वीकृत 3 स्टाफ नर्सों के अतिरिक्त 6 अन्य स्टाफ नर्सों की भी संविदा पर तैनाती का प्राविधान किया गया है, परन्तु इसके लिए इस इकाई का पूर्णतया क्रियाशील होना अनिवार्य है तथा इसके सम्बन्ध में अलग से वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है।

जनपदों में जो स्टाफ नर्स पहले से संविदा पर कार्यरत हैं तथा जिनका अनुबन्ध नवीनीकरण करा लिया गया है, उनके 3 माह के मानदेय का भुगतान स्वीकृत संख्या तथा निर्धारित मानदेय के आधार पर कर दिया जाय। **वर्ष 2011–12 मे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत स्टाफ नर्स के मासिक मानदेय में वृद्धि करके इसे ₹ 16,500.00 प्रतिमाह कर दिया गया है। तदनुसार माह अगस्त, 2011 से इनके अनुबन्ध पत्र संशोधित कर लिये जायं।** नगरीय क्षेत्र में स्टाफ नर्स का मानदेय पूर्ववत ₹ 15,000.00 प्रतिमाह रहेगा। तदनुसार इनके अनुबन्ध पत्रों में संशोधन करा लिया जाय तथा माह जुलाई, 2011 से नवीन दरों पर भुगतान किया जाय।

किसी भी दशा में आवंटित संख्या से अधिक संख्या में स्टाफ नर्स की तैनाती अनुमन्य नहीं होगी। स्टाफ नर्स के लिए सत्यापन योग्य प्रबन्धन संकेतक (VIM) दिये ज़ा रहे हैं, जिनके आधार पर इनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी तथा तभी माह जुलाई, 2011 से मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

कर्त्तव्य एवं दायित्व –

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं चयनित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर संविदा पर तैनात स्टाफ नर्स को प्राथमिकता पर सायंकाल अथवा रात्रि ड्यूटी पर बुलाया जायेगा, क्योंकि ओ0पी0डी0 के समय नियमित चिकित्सक, आई0एस0एम0 लेडी डॉक्टर, संविदा पर तैनात एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर, ए0एन0एम0 तथा एच0वी0 सभी उपलब्ध होती हैं, अतः ओ0पी0डी0 के समय इनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। ओ0पी0डी0 के पश्चात अगले दिन ओ0पी0डी0 आरम्भ होने तक के समय के लिए इन्हें रोटेशन के आधार पर दायित्व निर्वहन के निर्देश प्रदान किये जायें। सम्बन्धित चिकित्सालयों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक अपने विवेकानुसार, प्रसव के कार्य से सम्बन्धित समस्त नियमित एवं संविदा कर्मियों/चिकित्सकों इत्यादि का पूल बनाकर रोटेशन में ड्यूटी लगायें। नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे सुनिश्चित करें कि 24X7 इकाईयों पर चौबीसों घंटे प्रसव का कार्य निर्बाध रूप से चलता रहे।

जनपदीय महिला चिकित्सालय में 3 स्टाफ नर्से रखी जानी है, अतः इन्हें रोटेशन पर 8–8 घंटे की ड्यूटी पर रखा जाये। महिला चिकित्सालय की संविदा स्टाफ नर्स का मुख्य कार्य प्रसव कराना, जटिल प्रसव होने पर चिकित्सकों को सहयोग देना, नवजात व जच्चा की पूर्ण देखभाल,

टीकाकरण, वॉर्ड में भर्ती मरीजों की पूरी देखभाल तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा आवंटित अन्य कार्य हैं।

3. पैरा मेडिकल स्टाफ –

(लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट एवं फार्मासिस्ट)

इस निर्देश पत्र के प्रारम्भ में ही दिया गया है कि पैरामेडिकल कर्मियों का एक पूल आपके अधीन स्वीकृत किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार पैरामेडिकल कर्मियों में से 75–80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात किये जायें। नगरीय क्षेत्र में मात्र 15–20 प्रतिशत को ही नगरीय क्षेत्र की चिकित्सा इकाइयों पर तैनात किया जाना है। किसी भी दशा में जनपद के लिए आवंटित पैरामेडिकल कर्मियों की संख्या से अधिक कर्मी तैनात नहीं किये जा सकेंगे। **वर्ष 2011–12 में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पैरा मेडिकल स्टाफ को ₹ 10,800.00 प्रतिमाह तथा नगरीय क्षेत्र में ₹ 9,900.00 प्रतिमाह का मानदेय स्वीकृत किया गया है।** तदनुसार इनके अनुबन्ध पत्रों में संशोधन करा लिया जाय तथा माह **अगस्त,** 2011 से नवीन दरों पर भुगतान किया जाय। यदि आपके जनपद में कार्यरत जिला चिकित्सालय/प्रथम संदर्भन इकाई/अधिक कार्यभार वाली स्वास्थ्य इकाई पर आवंटन से अतिरिक्त पैरामेडिकल स्टाफ की आवश्यकता है, तो औचित्यपूर्ण प्रस्ताव बनाकर मिशन निदेशक को तत्काल प्रेषित करें, जिससे तदनुसार स्वीकृति एवं धनराशि का आवंटन निर्गत किया जा सके।

कर्त्तव्य एवं दायित्व –

संविदा पर पैरा मेडिकल स्टाफ (लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरे टेक्नीशियन, ई0सी0जी0 टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट आदि) को नियमित स्टाफ से अपेक्षित कार्यों एवं दायित्वों के अनुसार कार्यों का निर्वहन करना होगा। इनकी ड्यूटी भी निर्देशानुसार शिफ्ट में लगाई जा सकती है।

पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए सत्यापन योग्य प्रबन्धन संकेतक (VIM) दिये जा रहे हैं, जिनके आधार पर इनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी तथा तभी माह जुलाई, 2011 से मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

4. जनपदीय चिकित्सालयों में डेटा असिस्टेन्ट/कम्प्यूटर ऑपरेटर –

प्रदेश के समस्त जनपदीय महिला/पुरुष/संयुक्त चिकित्सालयों में प्रति चिकित्सालय एक डेटा असिस्टेन्ट/कम्प्यूटर ऑपरेटर को संविदा पर तैनात करने का प्राविधान किया गया है। ये डेटा असिस्टेन्ट चिकित्सालय में मुख्यतः जननी सुरक्षा योजना, आशा, एफ0आर0यू0, चौबीसों घंटे प्रसव सुविधा, आर0टी0आई0/एस0टी0आई0, राष्ट्रीय कार्यक्रम, एच0एम0आई0एस0 के प्रपत्रों के अनुसार एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें कम्प्यूटर पर फीड करने एवं आवश्यकतानुसार सम्बन्धित

अधिकारियों को सूचना प्रेषित करने का कार्य करेंगे। जनपदों को आवंटित संख्या से अधिक संख्या में इनकी तैनाती अनुमन्य नहीं है।

वर्ष 2011–12 में डेटा असिस्टेन्ट/कम्प्यूटर ऑपरेटर को ₹ 8,800.00 प्रतिमाह का मानदेय स्वीकृत किया गया है। तदनुसार इनके अनुबन्ध पत्रों में संशोधन करा लिया जाय तथा माह जुलाई, 2011 से नवीन दरों पर भुगतान किया जाय। **डेटा असिस्टेन्ट के लिए सत्यापन योग्य संकेतक दिये जा रहे हैं, जिनके आधार पर इनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी, तभी माह अगस्त, 2011 से मानदेय का भुगतान किया जायेगा।**

अनुश्रवण एवं मूल्यांकनः–

उक्त सभी श्रेणी के कर्मियों के कार्यों का मूल्यांकन सत्यापित किये जाने योग्य संकेतकों के आधार पर किया जायेगा तथा मानदेय का भुगतान बेन्च मार्क की प्राप्ति के पश्चात ही होगा।

PERFORMANCE APPRAISAL FORM (ANM/SN/LT/DA)

PART-I(Common for All)

REVIEW PERIOD:
NAME:
DATE OF JOINING :
LOCATION:
DATE OF COMPLETION OF CONTRACT:

PART-II

1. **Major responsibilities assigned during the review period (As per assigned duties)**
   -
   -
2. **Performance & Achievements (Please comment on the major achievements during the reporting period)**

A QUANTITATIVE ASSESSMENT

ANM

Sl. No.	Activities	Target	Achievement
1	No. of pregnant women immunised with 2 TT shots and ensured with 3 ANC visits and 2 Postnatal visits		
2.	No. of children with Complete immunisation upto one year		
3.	No. of cases of malnutrition among infants and young children (upto five years) identified and necessary advice and treatment given or referred serious cases to the Primary Health Centre.		
4.	No. of deliveries conducted at sub centre or referred to PHC/CHC.		

Record Keeping:

Records	Complete	Incomplete	Not entered
MCH Register/MCTS			
Eligible Couple Register			
Clinic Register			
Stock Book			

Staff Nurse

Sl. No.	Activities	Achievement
1	No. of deliveries conducted	
2	Assistance in Caesarean Section Operation	
3	Assistance in Sterilisation Operation	
4	Assistance to Safe abortion services.	
5	No. of sick newborn admitted	
6	Immunisation (if applicable)	

Lab Technician

Sl. No.	Activities	Achievement
1	No. of routine blood tests (TLC/DLC/haemoglobin/ESR)	
2	Stool and urine tests	
3	Bleeding time, clotting time	
4	Diagnosis of RTI/ STDs with wet mounting, Grams stain, etc.	
5	Sputum testing for tuberculosis (if designated as a microscopy center under RNTCP)	
6	Blood smear examination for malarial parasite.	
7	Rapid tests for pregnancy / malaria	
8	RPR test for Syphilis/YAWS surveillance	
9	Any other tests (Specify -)	

X-Ray Technician

Condition of X-RAY machine - funcional/non functional

Sl. No.	Activities	Achievement
1	Ensuring standards in Film Developing and processing modalities	
2	Following standards of exposure techniques in terms of KV, MA and time	
3	Following standards in recognition of the part of the body to be x-rayed and select the exposure factor accordingly.	
4	Preparation of fixer, developer, replenisher to maintain temparature.	
5	Use of proper exposure factors, collimators, cones and various protective measures.	
6	Number of X-Rays done	

ECG Technician

Sl. No.	Activities	Achievement
1	No. of ECG Recordings taken Emergency/routine	
2	No. of Patients counseled with heart diseases	

DATA ASSISTANT/ COMPUTER OPERATOR

Sl. No.	Activities	Achievement
1	Data Entry of all required information/records on a concurrent basis and producing monthly/quarterly reports/formats	

Data/Records	Timely Submission	Late Submission	Not Submitted/entered
Janani Suraksha Yojna			
Asha			
FRU/24 X 7 Delivery Services			
School Health Program/Saloni			
Disease Control Programmes			
RTI/STI Services			
Quarterly District updates (for CMO/DPM)			
Online HMIS			

B) QUALITATIVE ASSESSMENT (COMMON FOR ALL)

- Behaviour with patients/Community

Good	Average	Bad

- Is punctual

Always	Sometimes	Never

- Takes interest in assigned job

Always	Sometimes	Never

- Attend and participate in staff meetings

Always	Sometimes	Never

C. Any extraordinary achievement made or reasons for shortfall if any during the reporting period:

D. Remarks of the Assessing Authority (Common for All on similar pattern)
Overall assessment of the appraisee:

Recommendations: Contract Renewed / Contract Terminated

Date:

Name:
Signature:

5. आई0एस0एम0 महिला चिकित्सक –

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आयुष को मुख्य धारा में लाने का उद्देश्य रखा गया है तथा इसी के दृष्टिगत आधुनिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों के साथ–साथ आयुष विधा की महिला चिकित्सक विभिन्न 24X7 चिकित्सा इकाइयों पर तैनात की गई हैं। वर्ष 2011–12 में यह निर्णय लिया गया है कि हर 24X7 सेवा इकाई (नॉन एफ0आर0यू0, सी0एच0सी0, समस्त ब्लॉक पी0एच0सी0 तथा चिन्हित

नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) पर एक आयुष विधा की महिला चिकित्सक को संविदा पर तैनात करने से समुदाय की गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व, प्रसव दौरान, प्रसवोपरान्त एवं नवजात शिशुओं को बेहतर ढंग से देखभाल मिल सकेगी। इन चिकित्सकों को 21 दिवसीय एस0बी0ए0 प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा, जिससे यह अपना कार्य समुचित रूप से कर सकें।

<u>आयुष महिला चिकित्सक की योग्यताएँ–</u>

- आयुर्वेद में डिग्री (बी0ए0एम0एस0) एवं भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रेशन।
- यूनानी में डिग्री (बी0यू0एम0एस0)एवं भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रेशन।
- होम्योपैथिक में डिग्री (बी0एच0एम0एस0) एवं होम्योपैथी चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रेशन।

<u>कर्त्तव्य एवं दायित्वः–</u>

आयुष की महिला चिकित्सक इकाई पर आने वाली गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, देखभाल तथा परामर्श का कार्य करेगी। समस्त सामान्य प्रसव कराना तथा जटिलता वाले प्रसवों का समय पर संदर्भन भी इनके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। प्रसवोपरान्त नवजात को कोलोस्ट्रम दिलवाना तथा उसकी समुचित देखभाल का उत्तरदायित्व भी (स्टाफ नर्स/ए0एन0एम0 के सहयोग से) आयुष महिला चिकित्सकों का होगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अस्थाई विधियों सम्बन्धी सेवायें तथा स्थाई विधियों सम्बन्धी परामर्श लाभार्थियों को दिया जायेगा। आयुष महिला चिकित्सकों के लिए **सत्यापन योग्य प्रबन्धन संकेतक (VIM)** दिये जा रहे हैं, जिनके आधार पर इनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी तथा तभी माह **अगस्त**, 2011 से मानदेय का भुगतान किया जायेगा। वर्ष 2011–12 में ₹ 24,000.00 प्रतिमाह का मानदेय स्वीकृत किया गया है। आयुष महिला चिकित्सकों के मानदेय का भुगतान अग्रिम आदेशों तक न किया जाय, क्योंकि अभी भारत सरकार स्तर से मिशन फ्लैक्सीपूल में धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

यह प्राविधान किया जा रहा है कि प्रदेश में क्रियाशील 24X7 की समस्त इकाइयों पर एक आयुष की महिला चिकित्सक संविदा पर तैनात की जाय। अतः यदि आपके जनपद में क्रियाशील उक्त इकाइयों में से किसी पर आयुष की महिला चिकित्सक तैनात न हो, तो उसका औचित्यपूर्ण प्रस्ताव बनाकर तत्काल मिशन निदेशक को प्रेषित करें, जिससे उसकी भी स्वीकृति दी जा सके।

<u>6. एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक –</u>

ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर आवश्यकतानुसार एक एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक (महिला को प्राथमिकता) की तैनाती के सम्बन्ध में पूर्व में निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं। कई स्थानों पर ये कार्यरत भी हैं। वर्ष 2011–12 में इस प्रकार की व्यवस्था रखी गई है कि जिन नॉन एफ0आर0यू0 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अच्छी संख्या में प्रसव हो रहे हैं परन्तु विशेषज्ञ महिला चिकित्सक तैनात नहीं हैं तो प्राथमिकता पर एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सक की तैनाती कर ली जाय।

कर्त्तव्य एवं दायित्व –

सामुदायिक/ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एम0बी0बी0एस0 पुरुष चिकित्सकों की तैनाती मुख्य रूप से एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत चलाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का समुचित संचालन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के लिए की गई है। महिला चिकित्सकों को मुख्य रूप से अधिक कार्यभार वाली सी0एच0सी0/ब्लॉक पी0एच0सी0 पर तैनात किया जाय, जहां वे प्रसव कार्य, गर्भ समापन एवं परिवार नियोजन सम्बन्धी सेवायें प्रदान करेंगी। **एम0बी0बी0एस0 पुरुष एवं महिला चिकित्सकों के लिए सत्यापन योग्य प्रबन्धन संकेतक (VIM) दिये जा रहे हैं, जिनके आधार पर इनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी तथा तभी माह जुलाई, 2011 से मानदेय का भुगतान किया जायेगा। वर्ष 2011–12 में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों को ₹ 36,000.00 प्रतिमाह का मानदेय स्वीकृत किया गया है।** तदनुसार इनके अनुबन्ध पत्रों में संशोधन करा लिया जाय तथा माह जुलाई, 2011 से नवीन दरों पर भुगतान किया जाय।

इसके अतिरिक्त जिला महिला चिकित्सालयों में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत कार्यभार में विशेष वृद्धि होने के कारण वर्ष 2011–12 में प्रतिमाह प्रसवों/सीजेरियन ऑपरेशन आदि की संख्या के आधार पर जनपदीय महिला चिकित्सालयों/संयुक्त चिकित्सालय की महिला विंग को 1–4 एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सक अलग से आवंटित किये जा रहे हैं (जनपदवार फाट संलग्न)। **इन महिला चिकित्सकों के लिए सत्यापन योग्य प्रबन्धन संकेतक (VIM) दिये जा रहे हैं, जिनके आधार पर इनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी तथा तभी माह जुलाई, 2011 से मानदेय का भुगतान किया जायेगा। वर्ष 2011–12 में जिला महिला चिकित्सालयों में कार्यरत एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सकों को ₹ 33,000.00 प्रतिमाह का मानदेय स्वीकृत किया गया है।** तदनुसार इनके अनुबन्ध पत्रों में संशोधन करा लिया जाय तथा माह जुलाई, 2011 से नवीन दरों पर भुगतान किया जाय अथवा नवीन तैनाती जनपदीय स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय स्तर से अनुमोदनोपरान्त की जाय।

7. जनपदीय चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर विशेषज्ञों की संविदा पर तैनाती

जनपदीय महिला/संयुक्त चिकित्सालय के महिला अनुभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती का प्राविधान किया गया है। जहां सिजेरियन आपरेशन की संख्या वर्ष में 1000 से 2000 या इससे भी अधिक है वहां प्राथमिकता पर स्त्री रोग विशेषज्ञ/बाल रोग विशेषज्ञ/पैथॉलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट/रेडियोलॉजिस्ट अथवा निश्चेतक तैनात किये जा सकते हैं। यदि कोई चिकित्सालय 3 माह की अवधि में अच्छी प्रगति दर्शाता है तो वहां आवश्यकतानुसार अधिक संख्या में विशेषज्ञ मिशन निदेशक द्वारा स्वीकृत किए जा सकेंगे।

जिन महिला चिकित्सालयों में सिक न्यू बोर्न केयर यूनिट क्रियाशील की जानी है, वहां पर इस इकाई के लिए अलग से 3 बाल रोग विशेषज्ञों/प्रशिक्षण प्राप्त एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक की तैनाती का प्राविधान किया गया है। इस इकाई पर नियमित रूप से कार्यरत बाल रोग विशेषज्ञ एवं एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक भी कार्य कर सकते हैं तथा आवश्यकतानुसार संविदा पर तैनात किये जा सकते हैं। प्रयास यह किया जाना है कि इस इकाई के लिए कुल 3 चिकित्सकों (बाल रोग विशेषज्ञ/एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक एफ–आई0एम0एन0सी0आई0 एवं एन0एस0एस0के0 प्रशिक्षण प्राप्त) की उपलब्धता की व्यवस्था की जाय, जिससे चौबीसों घंटे कोई न कोई चिकित्सक उपलब्ध रहे। यदि इस इकाई पर नवजात शिशुओं की भर्ती बड़ी संख्या में होने लगती है, तो संविदा पर अधिक बाल रोग विशेषज्ञ भी स्वीकृत किये जा सकेंगे।

प्रायः यह देखा गया है कि जनपदीय पुरुष चिकित्सालय में भी जो विशेषज्ञ उपलब्ध होने चाहिए वे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2011–12 में यह व्यवस्था की गई है कि विशेषज्ञों (फिजीशियन/निश्चेतक/डेन्टल सर्जन/रेडियोलॉजिस्ट/सोनोलॉजिस्ट/पैथॉलॉजिस्ट आदि) में से कमी एवं समुदाय की आवश्यकता के अनुसार औसतन एक विशेषज्ञ प्रति इकाई के आधार पर संविदा पर तैनात किया जा सकता है। इनकी तैनाती जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से विज्ञापन द्वारा की जायेगी। **इन विशेषज्ञों के लिए सत्यापन योग्य प्रबन्धन संकेतक (VIM) दिये जा रहे हैं, जिनके आधार पर इनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी, तभी माह जुलाई, 2011 से मानदेय का भुगतान किया जायेगा। वर्ष 2011–12 में जिला चिकित्सालयों में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों को डिग्री धारक होने पर ₹ 44,000.00 प्रतिमाह तथा डिप्लोमाधारक होने पर ₹ 38,500.00 प्रतिमाह का मानदेय स्वीकृत किया गया है।** तदनुसार इनके अनुबन्ध पत्रों में संशोधन करा लिया जाय तथा माह जुलाई, 2011 से नवीन दरों पर भुगतान किया जाय। नवीन तैनाती जनपदीय स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय स्तर से अनुमोदनोपरान्त की जाय।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर भी यदि आवश्यकता हो तो प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ/बाल रोग विशेषज्ञ/निश्चेतक/नेत्र रोग विशेषज्ञ/पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट/डेन्टिस्ट/चर्म रोग/ई0एन0टी0 विशेषज्ञ इत्यादि की संविदा पर तैनाती की जा सकती है। परन्तु यहाँ यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा कि जो विशेषज्ञ संविदा पर तैनात किये जा रहे हैं, वहाँ उस विधा का नियमित विशेषज्ञ उपलब्ध न हो। वर्तमान आवंटन में सी0एच0सी0 हेतु विशेषज्ञों की तैनाती का प्राविधान नहीं किया जा रहा है। **जनपदों द्वारा सी0एच0सी0 पर कार्यभार के आधार पर विशेषज्ञों हेतु औचित्यपूर्ण मांग का प्रस्ताव मिशन निदेशक को प्रेषित किया जाय, जिसके आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत एफ0आर0यू0/नॉन एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0 हेतु विशेषज्ञ स्वीकृत किये जायेंगे।**

8. ब्लड बैंक/ट्रॉमा सेन्टर/इमरजेन्सी सेन्टर पर विशेषज्ञ –

भारत सरकार द्वारा उक्त इकाइयों पर भी आवश्यकतानुसार संविदा विशेषज्ञों को रखे जाने की स्वीकृति दी गई है। अतः यदि आपके जनपद में उक्त इकाइयों में से कहीं विशेषज्ञ पूर्व से कार्यरत हैं, उनका कार्य संतोषजनक है एवं अनुबन्ध नवीनीकृत किया गया है, तो उसकी सूचना अथवा कार्यभार अधिक होने के कारण आवश्यकता होने पर नवीन तैनाती हेतु प्रस्ताव मिशन निदेशक को तत्काल प्रेषित करें, जिससे उनकी स्वीकृति पर विचार किया जा सके।

9. बी0डी0एस0 चिकित्सक –

वर्ष 2011–12 में भारत सरकार द्वारा बी0डी0एस0 चिकित्सकों की कम संख्या में स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः बी0डी0एस0 चिकित्सक की तैनाती केवल उन्हीं सी0एच0सी0 पर की जानी है, जहां डेन्टल चेयर उपलब्ध हो तथा नियमित डेन्टिस्ट तैनात न हो। **इनके लिए जनपदवार फाट में स्वीकृति दी गई है, जिससे अधिक संख्या में बी0डी0एस0 चिकित्सकों की तैनाती अनुमन्य नहीं होगी।** इन चिकित्सकों द्वारा निकटतम सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर सप्ताह में नियत एक–एक दिन विजिट का प्राविधान भी किया जा सकता है, जिससे अधिक संख्या में समुदाय को लाभान्वित किया जा सकेगा। विजिट का दिन इकाई पर अवश्य लिखवा दिया जाये। यही प्रक्रिया नेत्र रोग, चर्म रोग, ई0एन0टी0 विशेषज्ञ तथा अस्थि रोग आदि के मामले में भी अपनाई जा सकती है।

डेन्टल चिकित्सकों के लिए सत्यापन योग्य प्रबन्धन संकेतक (VIM) दिये जा रहे हैं, जिनके आधार पर इनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी तथा तभी माह जुलाई, 2011 से मानदेय का भुगतान किया जायेगा। वर्ष 2011–12 में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डेन्टल चिकित्सकों को ₹ 35,000.00 प्रतिमाह तथा नगरीय क्षेत्रों में ₹ 30,000.00 प्रतिमाह का मानदेय स्वीकृत किया गया है। तदनुसार इनके अनुबन्ध पत्रों में संशोधन करा लिया जाय तथा माह जुलाई, 2011 से नवीन दरों पर भुगतान किया जाय अथवा नवीन तैनाती जनपदीय स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय स्तर से अनुमोदनोपरान्त की जाय।

10. जनपदीय चिकित्सालय एवं एफ0आर0यू0 पर ऑन कॉल व्यवस्था –

जनपदीय पुरुष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय एवं प्रथम संदर्भन इकाई स्तर पर ऑन कॉल स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की व्यवस्था का प्राविधान भी रखा गया है, जिसमें चिकित्सालय स्तर पर आवश्यकता पड़ने पर अस्थि रोग विशेषज्ञ/नेत्र रोग विशेषज्ञ/गुर्दा रोग विशेषज्ञ/हृदय रोग विशेषज्ञ/प्लास्टिक सर्जन/मनोरोग विशेषज्ञ अथवा सीजेरियन की स्थिति में प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ/निश्चेतक/बाल रोग विशेषज्ञ को ऑन कॉल के आधार पर बुलाया जा सकता है। इस कार्य के लिए आपको अपने जनपद के इच्छुक विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाकर उनकी लिस्ट को इम्पैनल करना होगा तथा उनके नामों की सूची जनपद, मंडल एवं राज्य स्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराने के पश्चात सभी सम्बन्धित इकाईयों पर डिस्प्ले कराना होगा, जिससे आवश्यकतानुसार इन विशेषज्ञों को ऑन कॉल के आधार पर

बुलाया जाये तथा इनकी सेवायें प्राप्त करने के पश्चात् प्रति कॉल की दर से भुगतान किया जाये। गत वर्ष उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद में ऑन कॉल पर बुलाये गये विशेषज्ञों का इकाईवार, कार्यवार विवरण तथा इनके भुगतान की स्थिति का पूर्ण विवरण महाप्रबन्धक–प्रशासन, एस0पी0एम0यू0 को उपलब्ध कराते हुए वर्ष 2011–12 के लिए प्रस्तावित कॉल्स का मांग पत्र प्रेषित करें, जिसके परीक्षण के उपरान्त ही जनपदवार कॉल्स की स्वीकृति तथा उनके लिए धनराशि निर्गत की जायेगी।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 में ग्रामीण क्षेत्रों में ऑन कॉल विशेषज्ञों के लिए ₹ 2,000.00 प्रति कॉल तथा नगरीय क्षेत्र में ₹ 1,500.00 प्रति कॉल स्वीकृत किया गया है, तदनुसार औचित्यपूर्ण प्रस्ताव के साथ धनराशि की गणना की जाय।

डी0एम0/एम0सी0एच0 इत्यादि योग्यता धारक को स्पेशलिस्ट क्लीनिक चलाने के लिए सप्ताह में एक/दो बार बुलाया जा सकता है। मानसिक रोग विशेषज्ञ/नेत्र रोग विशेषज्ञ/गुर्दा रोग विशेषज्ञ/हृदय रोग विशेषज्ञ आदि को प्राथमिकता प्रदान की जाय। ऑन कॉल बुलाये जाने वाले चिकित्सकों से मात्र उनका सहमति पत्र लिया जायेगा। उनसे किसी प्रकार का अनुबन्ध पत्र निष्पादित नहीं कराया जाना है।

कर्त्तव्य एवं दायित्व –

सभी इम्पैनल्ड विशेषज्ञों का यह दायित्व होगा कि यदि इकाई पर कोई इमरजेन्सी आती है तो प्राथमिकता पर समय से इकाई पर पहुँचकर सेवाएं देना सुनिश्चित करें। यदि उनका सम्पर्क नम्बर बदलता है, तो उसके सम्बन्ध में भी तत्काल सूचित करें। जिन दिनों वे जनपद में उपलब्ध नहीं है, इसकी सूचना भी पूर्व से सम्बन्धित अधिकारियों को दी जाय।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकनः–

उक्त सभी श्रेणी के कर्मियों के कार्यों का मूल्यांकन सत्यापित किये जाने योग्य प्रबन्धन संकेतकों के आधार पर किया जायेगा तथा मानदेय का भुगतान बेन्च मार्क की प्राप्ति के पश्चात ही होगा।

PERFORMANCE APPRAISAL FORM (MBBS/ SPECIALISTS DOCTORS / AYUSH)

PART-I(Common for All)

REVIEW PERIOD: NAME: DATE OF JOINING : LOCATION: DATE OF COMPLETION OF CONTRACT:

PART-II

1. **Major responsibilities assigned during the review period (As per assigned duties)**
    -
    -
    -
2. **Performance & Achievements (Please comment on the major achievements during the reporting period)**

A. **Quantitative Assessment**

MBBS DOCTORS (Female)

Sl. No.	Activities	Achievement
1	No. of OPD cases attended	
2.	No. of ANC/PNC cases handled at the facility	
3.	No. of Emergency cases attended against the total no. of cases	
4.	No. of labour cases handled at the facility	
5.	No. of infant/neonatal cases attended	
6.	No. of cases admitted under supervision	

Details Regarding the Field Visit:

a)	No. of Sub-Centre Clinics (once in a fortnight)	
b)	No. of block meetings/staff meetings attended.	
c)	No. of Village Health & Nutrition Days attended	
d)	No. of schools visited in the PHC area at regular intervals for medical check ups	

MBBS DOCTORS (Male)

Sl. No.	Activities	Achievement
1	No. of OPD cases attended	
2.	No. of cases admitted under supervision	
3.	No. of Sub-Centre Clinics (once in a fortnight)	
4.	No. of block meetings/staff meetings attended.	
5.	No. of Village Health & Nutrition Days attended	
6.	No. of schools visited in the PHC area at regular intervals for medical check ups	

SPECIALISTS

BDS DOCTORS

Sl. No.	Activities	Achievement
1	No. of OPD cases attended	
2.	No. of cases handled at the facility	
3.	No. of Emergency cases attended against the total no. of cases	
4.	No. of procedures handled at the facility	

OBS. & GYNAE.

Sl. No.	Activities	Achievement
1.	No of Normal Deliveries conducted	
2.	No of Assisted Deliveries	
3.	No of Caesarean Section Operations	
4.	No of MTP/Safe Abortions	
5.	No. of Sterilization Operations	

PEDIATRICIANS

Sl. No.	Activities	Achievement
1.	No of Children attended in OPD	
2.	No of Children admitted indoor	
3.	No of newborns resuscitated in labour room	
4.	No. of sick newborns treated	

ANAESTHETIST

Sl. No.	Activities	Achievement
1.	No. of General Anesthesia	
2.	No. of Spinal Anesthesia	
3.	No. of Local Anesthesia	

OPHTHALMOLOGIST

Sl. No.	Activities	Achievement
1.	No of OPD Cases attended	
2.	No. of Eye Surgeries	
3.	No. of Primary Eye Care & Vision Testing cases conducted	
4.	No. of trainings conducted of health personnel on eye related activities	

RADIOLOGISTS/ ULTRASONOLOGISTS

Sl. No.	Activities	Achievement
1.	No of X-Rays studied	
2.	No. of Ultrasound done	

AYUSH DOCTORS (Female)

Sl. No.	Activities	Achievement
1	No. of OPD case per month	
2	No. of labour cases handled/assisted	
3	Family Planning Services/Follow-up	

Details Regarding the Field Visit:

a)	No. of block/staff meetings attended.	

B. Qualitative Assessment

- Interpersonal Relationship
  (Attitude towards and degree of co-ordination with colleagues, Subordinates, Superiors, and other departments)

Outstanding	Very Good	Good	Average	Poor

- Behaviour with patients

Good	Average	Bad

- Flexibility and Adaptability

Outstanding	Very Good	Good	Average	Poor

- Is punctual

Always	Sometimes	Never

- Is dependable for tasks assigned

Always	Sometimes	Never

C. Any extraordinary achievement made or reasons for shortfall if any during the reporting period:

D. Remarks of the Assessing Authority

Overall assessment of the appraisee:

Recommendations: Contract Renewed / Contract Terminated

Date:

Name:

Signature:

नोटः—यदि किसी चिकित्सालय में उपरोक्त विधा के चिकित्सक/विशेषज्ञ से इतर के विशेषज्ञ संविदा पर कार्यरत हों तो उनके लिए भी मानक स्थानीय स्तर पर निर्धारित करते हुए मुख्यालय को सूचित करें एवं उनके कार्यों की समीक्षा उसी के आधार पर करें।

प्रपत्र–1

तैनात/अनुबंधित चिकित्सक व कर्मियों का विवरण (माह जुलाई, 2011 तक की स्थिति)

जनपद का नाम : ....

क्रम सं0	पदनाम	संविदा कर्मी का नाम एवं पता	संविदा कर्मी का मोबाइल नम्बर	पिता/पति का नाम	तैनाती का स्थान	तैनाती की तिथि	फोटो
ए0एन0एम0–स्वीकृत पदों की संख्या							
स्टाफ नर्स–स्वीकृत पदों की संख्या							
पैरामेडिकल कर्मी–स्वीकृत पदों की संख्या							
डेटा असिस्टेंट/कम्प्यूटर आपरेटर–स्वीकृत पदों की संख्या							
आयुष महिला चिकित्सक–स्वीकृत पदों की संख्या							
एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक–स्वीकृत पदों की संख्या							
महिला एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक–स्वीकृत पदों की संख्या							
विशेषज्ञ चिकित्सक–स्वीकृत पदों की संख्या							
बी0डी0एस0 चिकित्सक–स्वीकृत पदों की संख्या							

नोटः– उपर्युक्त प्रपत्र कर्मीवार भरा जायेगा, यथा–ए0एन0एम0 के लिए पृथक, स्टाफ नर्सों के लिए पृथक आदि तथा प्रत्येक स्तर के कर्मी के नाम के सम्मुख फोटो भी प्रदर्शित की जायेगी।

Districtwise Human Resource Allocation on Contract for the FY 2011-12

Rs in Lacs

SN	District	ANMs at sub centres/PHC		Staff Nurse at DWH/CHC/PHC		Data Assistant at Distt. Hospital		Paramedics at DH/ CHC/PHC		Ayush (Female) at 24*7 - CHC/PHC		Specialist for DH/DWH/CH		MBBS Doctors (Male &Female) at BPHCs / CHCs		BDS Doctors Allocated at CHCs		MBBS LMO at DWH		Total
		ANMs Allocated	Budget (in lacs) @ Rs.10000 per month for 6 months	Staff Nurse Allocated	Budget (in lacs) @ Rs.16500 per month for 6 months	Data Assistants Allocated	Budget (in lacs) @ Rs.8800 per month for 6 months	Paramedics Allocated	Budget (in lacs) @ Rs.10800 per month for 6 months	Ayush Doctors (Female) allocated	Budget (in lacs) @ Rs.24000 per month for 6 months	Specialists Allocated	Budget (in lacs) @ Rs.44000 pm urban with degree for 6 months	MBBS Doctors Allocated	Budget (in lacs) @ Rs.36000 pm rural for 6 months	BDS Doctors Allocated	Budget (in lacs) @ Rs.35000 pm rural for 6 months	MBBS LMO for DWH	Budget (in lacs) @ Rs.33000 pm urban for 6 months	
1	Agra	31	18.60	30	29.70	2	1.06	3	1.94	14	0.00	2	5.28	11	23.76	3	6.30	2	3.96	90.60
2	Aligarh	25	15.00	25	24.75	3	1.58	4	2.59	12	0.00	3	7.92	3	6.48	2	4.20	1	1.98	64.51
3	Allahabad	21	12.60	15	14.85	3	1.58	4	2.59	16	0.00	3	7.92	8	17.28	3	6.30	2	3.96	67.09
4	Ambedkarnagar	10	6.00	8	7.92	1	0.53	1	0.65	10	0.00	1	2.64	3	6.48	2	4.20	1	1.98	30.40
5	Auraiya	9	5.40	8	7.92	0	0.00	2	1.30	7	0.00	0	0.00	4	8.64	1	2.10	1	1.98	27.34
6	Azamgarh	12	7.20	32	31.68	2	1.06	4	2.59	17	0.00	2	5.28	14	30.24	3	6.30	2	3.96	88.31
7	Badaun	10	6.00	30	29.70	2	1.06	9	5.83	15	0.00	2	5.28	9	19.44	3	6.30	1	1.98	75.59
8	Baghpat	5	3.00	4	3.96	0	0.00	1	0.65	4	0.00	0	0.00	3	6.48	1	2.10	1	1.98	18.17
9	Bahraich	51	30.60	9	8.91	2	1.06	3	1.94	16	0.00	2	5.28	10	21.60	3	6.30	1	1.98	77.67
10	Ballia	10	6.00	27	26.73	2	1.06	4	2.59	15	0.00	2	5.28	13	28.08	3	6.30	1	1.98	78.02
11	Balrampur	58	34.80	5	4.95	2	1.06	1	0.65	7	0.00	2	5.28	5	10.80	2	4.20	1	1.98	63.71
12	Banda	42	25.20	5	4.95	2	1.06	1	0.65	11	0.00	2	5.28	5	10.80	1	2.10	1	1.98	52.01
13	Barabanki	5	3.00	22	21.78	2	1.06	7	4.54	15	0.00	2	5.28	5	10.80	3	6.30	3	5.94	58.69
14	Bareilly	12	7.20	30	29.70	2	1.06	3	1.94	14	0.00	2	5.28	10	21.60	3	6.30	3	5.94	79.02
15	Basti	9	5.40	15	14.85	3	1.58	2	1.30	15	0.00	3	7.92	10	21.60	3	6.30	2	3.96	62.91

SN	District	ANMs Allocated	Budget (in lacs) @ Rs.10000 per month for 6 months	Staff Nurse Allocated	Budget (in lacs) @ Rs.16500 per month for 6 months	Data Assistants Allocated	Budget (in lacs) @ Rs.8800 per month for 6 months	Paramedics Allocated	Budget (in lacs) @ Rs.10800 per month for 6 months	Ayush Doctors (Female) allocated	Budget (in lacs) @ Rs.24000 per month for 6 months	Specialists Allocated	Budget (in lacs) @ Rs.44000 pm urban with degree for 6 months	MBBS Doctors Allocated	Budget (in lacs) @ Rs.36000 pm rural for 6 months	BDS Doctors Allocated	Budget (in lacs) @ Rs.35000 pm rural for 6 months	MBBS LMO for DWH	Budget (in lacs) @ Rs.33000 pm urban for 6 months	Total
16	Bhadohi (Sant Ravidas Nagar)	16	9.60	5	4.95	1	0.53	0	0.00	6	0.00	1	2.64	2	4.32	1	2.10	1	1.98	26.12
17	Bijnor	8	4.80	23	22.77	2	1.06	7	4.54	12	0.00	2	5.28	8	17.28	2	4.20	2	3.96	63.88
18	Bulandshahr	12	7.20	35	34.65	4	2.11	15	9.72	17	0.00	4	10.56	7	15.12	3	6.30	1	1.98	87.64
19	Chandauli	58	34.80	9	8.91	1	0.53	5	3.24	10	0.00	1	2.64	5	10.80	2	4.20	1	1.98	67.10
20	Chatrapati SMN	3	1.80	6	5.94	1	0.53	0	0.00	10	0.00	0	0.00	8	17.28	3	6.30	1	1.98	33.83
21	Chitrakoot	43	25.80	11	10.89	1	0.53	2	1.30	8	0.00	1	2.64	3	6.48	1	2.10	1	1.98	51.71
22	Deoria	52	31.20	20	19.80	2	1.06	4	2.59	16	0.00	2	5.28	15	32.40	3	6.30	2	3.96	102.59
23	Etah	10	6.00	10	9.90	2	1.06	1	0.65	10	0.00	2	5.28	5	10.80	1	2.10	1	1.98	37.76
24	Etawah	5	3.00	9	8.91	2	1.06	4	2.59	11	0.00	2	5.28	3	6.48	1	2.10	1	1.98	31.40
25	Faizabad	5	3.00	8	7.92	3	1.58	5	3.24	9	0.00	3	7.92	6	12.96	2	4.20	3	5.94	46.76
26	Farrukhabad	5	3.00	13	12.87	2	1.06	7	4.54	6	0.00	2	5.28	2	4.32	1	2.10	2	3.96	37.12
27	Fatehpur	8	4.80	7	6.93	2	1.06	1	0.65	12	0.00	2	5.28	11	23.76	3	6.30	1	1.98	50.75
28	Firozabad	18	10.80	25	24.75	3	1.58	4	2.59	8	0.00	3	7.92	7	15.12	2	4.20	1	1.98	68.95
29	G.B. Nagar	10	6.00	8	7.92	1	0.53	0	0.00	4	0.00	1	2.64	3	6.48	1	2.10	1	1.98	27.65
30	Ghaziabad	25	15.00	17	16.83	3	1.58	3	1.94	12	0.00	3	7.92	3	6.48	1	2.10	1	1.98	53.84
31	Ghazipur	20	12.00	32	31.68	2	1.06	8	5.18	14	0.00	2	5.28	16	34.56	3	6.30	2	3.96	100.02
32	Gonda	7	4.20	10	9.90	2	1.06	6	3.89	15	0.00	2	5.28	11	23.76	3	6.30	2	3.96	58.34
33	Gorakhpur	20	12.00	32	31.68	2	1.06	9	5.83	16	0.00	2	5.28	13	28.08	3	6.30	2	3.96	94.19
34	Hamirpur	5	3.00	8	7.92	2	1.06	6	3.89	6	0.00	2	5.28	5	10.80	1	2.10	1	1.98	36.02
35	Hardoi	10	6.00	13	12.87	2	1.06	4	2.59	17	0.00	2	5.28	12	25.92	3	6.30	2	3.96	63.98
36	Hathras	5	3.00	13	12.87	2	1.06	0	0.00	7	0.00	2	5.28	3	6.48	1	2.10	1	1.98	32.77

SN	District	ANMs Allocated	Budget (in lacs) @ Rs.10000 per month for 6 months	Staff Nurse Allocated	Budget (in lacs) @ Rs.16500 per month for 6 months	Data Assistants Allocated	Budget (in lacs) @ Rs.8800 per month for 6 months	Paramedics Allocated	Budget (in lacs) @ Rs.10800 per month for 6 months	Ayush Doctors (Female) allocated	Budget (in lacs) @ Rs.24000 per month for 6 months	Specialists Allocated	Budget (in lacs) @ Rs.44000 pm urban with degree for 6 months	MBBS Doctors Allocated	Budget (in lacs) @ Rs.36000 pm rural for 6 months	BDS Doctors Allocated	Budget (in lacs) @ Rs.35000 pm rural for 6 months	MBBS LMO for DWH	Budget (in lacs) @ Rs.33000 pm urban for 6 months	Total
37	J.P. Nagar	10	6.00	20	19.80	1	0.53	5	3.24	8	0.00	1	2.64	2	4.32	1	2.10	1	1.98	40.61
38	Jalaun	5	3.00	9	8.91	2	1.06	6	3.89	11	0.00	2	5.28	7	15.12	2	4.20	1	1.98	43.43
39	Jaunpur	24	14.40	12	11.88	2	1.06	2	1.30	9	0.00	2	5.28	10	21.60	3	6.30	2	3.96	65.77
40	Jhansi	15	9.00	9	8.91	2	1.06	4	2.59	9	0.00	2	5.28	4	8.64	1	2.10	1	1.98	39.56
41	Kannauj	5	3.00	5	4.95	1	0.53	5	3.24	7	0.00	1	2.64	4	8.64	1	2.10	1	1.98	27.08
42	Kanpur Dehat	5	3.00	11	10.89	2	1.06	4	2.59	12	0.00	2	5.28	6	12.96	2	4.20	1	1.98	41.96
43	Kanpur Nagar	9	5.40	11	10.89	3	1.58	2	1.30	16	0.00	3	7.92	3	6.48	2	4.20	4	7.92	45.69
44	Kanshi R Ngr	10	6.00	5	4.95	0	0.00	3	1.94	4	0.00	0	0.00	3	6.48	1	2.10	1	1.98	23.45
45	Kaushambi	47	28.20	5	4.95	1	0.53	0	0.00	10	0.00	1	2.64	5	10.80	1	2.10	1	1.98	51.20
46	Kushinagar	60	36.00	25	24.75	1	0.53	9	5.83	14	0.00	1	2.64	6	12.96	3	6.30	1	1.98	90.99
47	Lakhimpur Kheri	48	28.80	21	20.79	2	1.06	0	0.00	16	0.00	2	5.28	6	12.96	3	6.30	2	3.96	79.15
48	Lalitpur	5	3.00	9	8.91	2	1.06	4	2.59	8	0.00	2	5.28	2	4.32	1	2.10	1	1.98	29.24
49	Lucknow	30	18.00	15	14.85	6	3.17	0	0.00	16	0.00	7	18.48	1	2.16	1	2.10	10	19.80	78.56
50	Maharajganj	48	28.80	14	13.86	1	0.53	2	1.30	13	0.00	1	2.64	9	19.44	2	4.20	1	1.98	72.74
51	Mahoba	43	25.80	12	11.88	2	1.06	4	2.59	11	0.00	2	5.28	2	4.32	1	2.10	1	1.98	55.01
52	Mainpuri	10	6.00	13	12.87	2	1.06	2	1.30	11	0.00	2	5.28	7	15.12	2	4.20	1	1.98	47.80
53	Mathura	5	3.00	13	12.87	2	1.06	1	0.65	7	0.00	2	5.28	4	8.64	2	4.20	1	1.98	37.67
54	Mau	5	3.00	7	6.93	2	1.06	0	0.00	6	0.00	2	5.28	5	10.80	2	4.20	1	1.98	33.25
55	Meerut	31	18.60	24	23.76	2	1.06	6	3.89	11	0.00	2	5.28	9	19.44	2	4.20	1	1.98	78.20
56	Mirzapur	51	30.60	12	11.88	2	1.06	9	5.83	13	0.00	2	5.28	9	19.44	2	4.20	2	3.96	82.25
57	Moradabad	14	8.40	22	21.78	2	1.06	4	2.59	13	0.00	2	5.28	8	17.28	3	6.30	4	7.92	70.61
58	Muzaffarnagar	20	12.00	20	19.80	2	1.06	5	3.24	16	0.00	2	5.28	8	17.28	3	6.30	3	5.94	70.90

SN	District	ANMs Allocated	Budget (in lacs) @ Rs.10000 per month for 6 months	Staff Nurse Allocated	Budget (in lacs) @ Rs.16500 per month for 6 months	Data Assistants Allocated	Budget (in lacs) @ Rs.8800 per month for 6 months	Paramedics Allocated	Budget (in lacs) @ Rs.10800 per month for 6 months	Ayush Doctors (Female) allocated	Budget (in lacs) @ Rs.24000 per month for 6 months	Specialists Allocated	Budget (in lacs) @ Rs.44000 pm urban with degree for 6 months	MBBS Doctors Allocated	Budget (in lacs) @ Rs.36000 pm rural for 6 months	BDS Doctors Allocated	Budget (in lacs) @ Rs.35000 pm rural for 6 months	MBBS LMO for DWH	Budget (in lacs) @ Rs.33000 pm urban for 6 months	Total
59	Pilibhit	60	36.00	20	19.80	2	1.06	7	4.54	8	0.00	2	5.28	2	4.32	1	2.10	1	1.98	75.07
60	Pratapgarh	5	3.00	9	8.91	2	1.06	5	3.24	16	0.00	2	5.28	5	10.80	3	6.30	2	3.96	42.55
61	Raebareli	7	4.20	24	23.76	2	1.06	8	5.18	11	0.00	2	5.28	9	19.44	3	6.30	3	5.94	71.16
62	Rampur	5	3.00	16	15.84	2	1.06	0	0.00	8	0.00	2	5.28	2	4.32	1	2.10	2	3.96	35.56
63	Saharanpur	15	9.00	22	21.78	2	1.06	7	4.54	14	0.00	2	5.28	6	12.96	2	4.20	4	7.92	66.73
64	Sant Kabir Ngr	13	7.80	16	15.84	1	0.53	0	0.00	6	0.00	1	2.64	3	6.48	2	4.20	1	1.98	39.47
65	Shahjahanpur	29	17.40	24	23.76	2	1.06	4	2.59	14	0.00	2	5.28	10	21.60	3	6.30	1	1.98	79.97
66	Shravasti	60	36.00	5	4.95	0	0.00	0	0.00	4	0.00	0	0.00	2	4.32	1	2.10	1	1.98	49.35
67	Siddharthnagar	41	24.60	25	24.75	1	0.53	0	0.00	12	0.00	1	2.64	8	17.28	3	6.30	1	1.98	78.08
68	Sitapur	20	12.00	10	9.90	2	1.06	0	0.00	16	0.00	2	5.28	10	21.60	3	6.30	2	3.96	60.10
69	Sonbhadra	60	36.00	19	18.81	2	1.06	5	3.24	8	0.00	2	5.28	4	8.64	1	2.10	1	1.98	77.11
70	Sultanpur	5	3.00	5	4.95	2	1.06	7	4.54	12	0.00	2	5.28	4	8.64	3	6.30	3	5.94	39.70
71	Unnao	10	6.00	10	9.90	2	1.06	0	0.00	16	0.00	2	5.28	10	21.60	3	6.30	2	3.96	54.10
72	Varanasi	15	9.00	11	10.89	4	2.11	10	6.48	10	0.00	4	10.56	6	12.96	1	2.10	1	1.98	56.08
	Grand Total	**1500**	**900.0**	**1089**	**1078.11**	**138**	**72.86**	**270**	**174.96**	**810**	**0.00**	**138**	**364.32**	**462**	**997.92**	**148**	**310.80**	**120**	**237.60**	**4136.57**

वित्त पोषण –

उपर्युक्त दी गई फांट के अनुसार तैनात किये जाने वाले समस्त संविदा चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी (आयुष महिला चिकित्सकों को छोड़कर) के मानदेय का भुगतान आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के मद संख्या–ए 8.1 से किया जायेगा। किसी भी दशा में आयुष महिला चिकित्सकों के मानदेय का भुगतान अग्रिम आदेशों तक न किया जाय क्योंकि अभी भारत सरकार स्तर से मिशन फ्लैक्सीपूल में कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है तथा इनका भुगतान बी 9.1 से किया जाना है।

भवदीय

(मोहम्मद मुस्तफा)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या : एस0पी0एम0यू0/नियोजन/80/2011–12/ दिनॉक : 07.2011

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0/समस्त डिवीजनल प्रोग्राम मैनेजर्स, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
8. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक–एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
9. वित्त नियंत्रक, एन.आर.एच.एम., एस.पी.एम.यू.।

(मोहम्मद मुस्तफा)
मिशन निदेशक